अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1487(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 862(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नारायण सेवा संस्था, "सेवा दाम" 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान – 313002" द्वारा "हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र" को चलाने की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 26.05.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 508(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 785(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1013(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 840(अ) वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2895(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 785(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 2.91 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था ; दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 249(अ) द्वारा परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपए से 2.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34,23,86,748.00 करोड़ रुपए तक और आगे बढ़ा दिया गया था; दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 840(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 34.23 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था और दिनांक 06.01.2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 91(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) "नारायण सेवा संस्था, "सेवा दाम" 483, हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान–313002" द्वारा चलाई जा रही "हिरन मग्री, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 2 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

[सं. 146/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)